## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री हेमेन्द्रसिंह पिता मिठूसिंह निवासी दाणी चबुतरा राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द — अपीलांट

**बनाम**

1. लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

**किस्म मुकदमा**— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 32/2018**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 04.09.2018**<br>अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक प.1()सू0अ0,05/2018/683—84 दिनांक 20.08.2018 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 14.06.2018 को सूचना के अधिकारी अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 14.06.2018 को प्राप्त हुआ ।<br>उक्त आवेदन पत्र में वर्णित वांछित बिन्दु संख्या 01 से 03 में से बिन्दु संख्या 01 व 03 की सूचना कार्यालय के प्रभारी अधिकारी,राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांकःप.1( ) सू0अ0,05/2018/452—53 दिनांक 14.06.2018 को प्रेषित गया व प्रार्थी को आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 02 की सूचना जिले के समस्त , उपखण्ड अधिकायियो से संबंधित होने से वह सभी स्वयं लोक सूचना अधिकारी है। भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 24 सितम्बर,2010 की अनुपालना में अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आप नियमानुसार पृथक पृथक आपके स्तर से आवेदन सीधे ही कर वांछित सूचना प्राप्त करे। पत्र की प्रति एवं आवेदन पत्र अवलोकनार्थ **एनेक्स—1 व 02** रिपोर्ट के साथ संलग्न किए है।<br>प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा द्वारा जरिये पत्रांक प.1()/राजस्व/सू0अ0,05/2017/4485 दिनांक 30.07.2018 से इस अनुभाग को पत्र प्रेषित कर बिन्दुओं की सूचना व मूल पत्रावली भिजवाई | फोटो प्रति प्रमाणित<br>रीडर<br>न्यायालय जिला कलेक्टर<br>राजसमन्द (राज.) |

गई जिसकी पालना में प्रार्थी/अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01 व 03 की सूचना तैयार कर इस अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक कमांकःप.1( )सू0अ0,05/ [redacted] रजिस्टर्ड निःशुल्क भिजवाई गई है । पत्र की प्रति अवलोकनार्थ **एनेक्स–3 व 4** संलग्न रिपोर्ट किए है।

प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील के संदर्भ में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करते हुये अपीलार्थी को भी नोटिस की प्रति प्रेषित कर अपील के उत्तर पर आपकी कोई प्रतिकिया हो तो आप व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे । इस कम में प्रार्थी/अपीलार्थी वक्त पेशी उपस्थित नही हुआ है ।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कार्यालय के प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन के बिन्दु संख्या 01 व 03 की सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी, उसी अनुसार आरटीआई अनुभाग को सूचना उपलब्ध कराने हेतु दी गई जिसकी सूचना तैयार कर प्रार्थी/अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जा चुकी है।

अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा रजिस्टर्ड उपलब्ध करा देने से अपीलार्थी द्वारा प्रेषित अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर

फोटो प्रति प्रमाणित
रीडर
न्यायालय जिला कलेक्टर